

## न्यायालय नायब तहसीलदार जालोर

सरकार बनाम ओशराम १/० वरशराम शेवारी वि० नरसाणा

मुकदमा नं. ५७/२०१७

धारा ९१ LR ACT १९५६

निर्णय दिनांक ३०.०१.२०१८

पत्रावली आज पेश हुई गैर सायल ओशराम १/० वरशराम उपस्थित, पटवारी हल्का नरसाणा की रिपोर्टनुसार मौजा नरसाणा के खसरा नं. ६६० रकबा ०.०५ किस्म जि० शु० जो-चर भूमि पर संवत् २०१४ में कब्जा रूप में अतिक्रमण करने पर गैर सायल को धारा ९१ (३) के तहत जरिये नोटिस तलब किया गया, गैर सायल द्वारा अपने कब्जे की वैधता में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया। अतः राज० भू०रा० अधिनियम १९५६ की धारा ९१ के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर जुर्माना ग्राम की दर ५.५० रुपये प्रति हैक्टर के हिसाब से ०.०५ हैक्टर की दर ०.२५ रुपये का पचास गुणा से १३१ रुपये अक्षरे १२६ रुपये आरोपित किया जाता है। मौके पर से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये जाते हैं पटवारी हल्का को बेदखल हेतु व टी.आर.ए. मांग कायमी हेतु लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो निर्णय सरे इजलास आज दिनांक ३०.०१.२०१८ को सुनाया गया।

नायब तहसीलदार जालोर  
(श्री पुखाराम मीणा)  
नायब तहसीलदार, जालोर